रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2006/ज्येष्ठ 10, 1928
No. 110] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2006/JYAISTHA 10, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2006

सं. 2/38/99/बीटीपीएस (खण्ड VII).—जबकि, बदरपुर, नई दिल्ली में स्थित 720 मेगावॉट (705 मेगावॉट तक डीरेटेड) की संस्थापित क्षमता सहित बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में कथित स्टेशन का भाग बनाने वाली या इसके साथ संबद्ध या इससे संबंधित अथवा कथित स्टेशन की विद्युत उत्पादन गतिविधि और अन्य संबद्ध गतिविधियों या इनसे संबंधित भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी, औजार और उपस्कर, फिक्सचर्स और फिटिंग्स, संस्थापनाएँ और अन्य परिसम्पत्तियाँ, लाइसेंस, अनुमोदन, विशेषाधिकार और सुविधाएँ भारत सरकार के स्वामित्व में हैं ;

और जबकि, एनटीपीसी लिमिटेड (इसमें आगे इसे एनटीपीसी कहा जाएगा) भारत सरकार का एक उद्यम है और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निहित एक कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 में है;

और जबकि, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन का प्रचालन और प्रबंधन एनटीपीसी द्वारा भारत सरकार के लिए और उनकी ओर से किया जा रहा है;

और जबकि, भारत सरकार ने बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में उत्पादन गतिविधि से संबंधित अधिकारों, शीर्षकों और हितों को इनकी सम्पूर्णता में एनटीपीसी में अंतरित करने का निर्णय लिया है, सिवाय इसके कि, कथित स्टेशन के साथ जुड़ी भूमि एनटीपीसी को दीर्घ अवधि के पट्टे (लीस) पर दी जाएगी;

और जबकि, भारत सरकार और एनटीपीसी ने बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी को सौंपने की सभी शर्तों और निबंधनों को अंतिम रूप दिया है, जैसा इसमें निहित है।

और जबकि, भारत सरकार ने दिनांक 15-5-2006 के पत्र सं. 2/38/99 – बीटीपीएस (खण्ड VII) के माध्यम से बीपीटीसी को एनटीपीसी के पास अंतरित किए जाने की स्थूल शर्तों और निबंधनों को संप्रेषित किया।

और जबकि, एनटीपीसी दिनांक 24 मई, 2006 को लिखे गए पत्र सं. 01/एनबीडी/बीटीपीएस/027–601 के माध्यम से बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन का अधिग्रहण करने के लिए सहमत है।

अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 298 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 73 के अंतर्गत इसके अधिकारों का उपयोग करते हुए जैसी सहमति एनटीपीसी की है और भारत सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार आदेश करती है :

1. परिसम्पत्तियां [भूमि के अतिरिक्त, जो इसकी धारा–2 के उल्लेखानुसार पट्टे(लीस) पर दी जाएगी] परिसम्पत्तियों पर ब्याज और इसमें शामिल किन्तु उत्पादक स्टेशन का भाग बनाने वाली या इसके साथ संबद्ध या इसकी सम्पूर्णता में उत्पादक स्टेशन से

संबंधित भवन, संयंत्र, मशीनरी, औजार और उपस्कर, फर्नीचर्स और फिटिंग्स, संस्थापनाओं और अन्य सुविधाओं तक सीमित नहीं हो, उन्हें 1 जून 2006 से इस आदेश में निहित शर्तों और निबंधनों के अनुसार एनटीपीसी में अंतरित और निहित किया जाएगा। बीटीपीएस की उत्पादन गतिविधियों से संबंधित अंतरित परिसम्पत्तियों में शामिल हैं विद्युत प्रणालियाँ, संयंत्र, मशीनरी, भवन, कार्यालय के साथ कार्यालय उपस्कर और कम्प्यूटर्स, भण्डार गृह, फर्नीचर, फिक्सचर्स, वाहन, आवासीय घर, अस्पताल के उपस्करों के साथ अस्पताल, विद्यालय, अतिथिगृह और इससे संबंधित और जुड़ी सुविधाएँ तथा संस्थापनाएँ और अन्य चल और अचल परिसम्पत्तियाँ, निवेश, भौतिक और अभौतिक, मूर्त और अमूर्त परिसम्पत्तियाँ, लाभ, लाइसेंस, स्वीकृतियाँ, प्राधिकरण, पंजीकरण और प्रत्येक प्रकार, प्रकृति और विवरण के अधिकार, विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएँ (छूटें), आसानियाँ, लाभ, लाभ और अनुमोदन, संविदाएँ, प्रलेख, योजनाएँ, बॉन्ड्स, करारनामे और अन्य उपकरण तथा किसी भी प्रकृति के ब्याज। इसके बावजूद उपरोक्त परिसम्पत्तियों में यद्यपि, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन की वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, उधारकर्ता, निवेश, ऋण और अग्रिम राशियाँ शामिल नहीं होंगी जिन्हें दिनांक 31.05.2006 को विद्युत व्यवसाय से संबंधित वियोजित लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार आधिक्य के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

2. बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन की भूमि का शीर्षक 517.08 हेक्टेयर के साथ उत्पादक स्टेशन का भाग बनाता है और सुविधाओं को भारत सरकार में निहित करना जारी रहेगा तथा भूमि के पुस्तक मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर वार्षिक पट्टा किराया राशि पर 50 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए यह एनटीपीसी को दी जाएगी।

3. सरकार को अधिकार है कि यदि विद्युत उत्पादन गतिविधि को रोकने का निर्णय लिया जाता है और यदि भूमि को विद्युत उत्पादन के लिए और विद्युत उत्पादन से जुड़ी या आकस्मिक गतिविधि के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग के लिए प्रस्तावित किया जाता है तो पट्टे की भूमि की समीक्षा करे।

4. यहाँ वर्णित सभी परिसम्पत्तियाँ, भूमि के अतिरिक्त, जो पट्टे पर होंगी, उन्हें 31 मई, 2006 के बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के लेखा परीक्षित खातों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने हेतु विचार के लिए एनटीपीसी में निहित किया जाएगा। कथित विचार भारत सरकार द्वारा एनटीपीसी को कथित प्रयोजन के लिए जारी आदेश द्वारा संप्रेषित किया जाएगा।

5. दिनांक 31-05-2006 को विद्युत व्यवसाय से संबंधित वियोजित लेखापरीक्षित तुलन पत्र के दायित्वों और प्रावधानों से संबंधित कार्यशील पूँजी और सभी कर्मचारियों सहित बीटीपीएस के अभिज्ञात वर्तमान दायित्वों और प्रावधानों को एनटीपीसी में अंतरित किया जाएगा, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को 1 जून, 2006 से स्टेशन के ऐसे किसी दायित्व के बिना एनटीपीसी में अंतरित और निहित किया जाएगा जो 01-06-2006 से पहले की अवधि के हैं। किसी भी प्रकृति के अन्य सभी दायित्व पूरी तरह से भारत सरकार की ओर होंगे।

6. वर्तमान में बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन की उत्पादन क्षमता से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति एनटीपीसी द्वारा दिनांक 01-06-06 से भारत सरकार द्वारा अन्यथा निर्णय लेने तक 31-05-2006 तक भारत सरकार पर लागू बिजली की बिक्री के करारनामे और व्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदाय की जाएगी।

7. दिनांक 1 जून, 2006 से एनटीपीसी बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन की सभी गतिविधियों को एनटीपीसी के अधिकार में लेता है और भारत सरकार की ओर से नहीं।

8. बीटीपीएस को एनटीपीसी में अंतरित करने का प्रतिफल अंतरण मूल्य के संप्रेषण के 100 दिनों के अंदर भारत सरकार को भुगतान किया जाए, जो सरकार द्वारा 31 मई, 2006 के अनुसार लेखा परीक्षित लेखा के आधार पर निकाला जाएगा।

मृत्युंजय साहू, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2006

No. 2/38/99–BTPS (Vol. VII).— Whereas, the BADARPUR THERMAL POWER STATION with an installed capacity of 720 MW (derated to 705 MW) situated at Badarpur, New Delhi, consisting of land, building, plant and machinery, tools and equipment, fixtures, fittings, installations and other assets, licences, approvals, privileges, interest and facilities forming part of or associated with or related to the said station or to the activities of electricity generation in the said station and other activities associated or related thereto belong to the Government of India;

And whereas, NTPC Limited, (hereinafter called 'NTPC') is a Government of India Enterprise and a Company incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110003;

And whereas, Badarpur Thermal Power Station is being operated and managed by NTPC for and on behalf of the Government of India;

And whereas the Government of India has decided to transfer of all the rights, titles and interests relating to generating activity in the Badarpur Thermal Power Station in its entirety to NTPC except that the land connected with the said station shall be given to NTPC on long-term lease;

And whereas the Government of India and NTPC have finalized all the terms and conditions of transfer of the Badarpur Thermal Power Station to NTPC as contained herein.

And whereas Government of India has communicated vide letter no.2/38/99-BTPS (Vol.VII) dated 15-5-2006 to NTPC the broad terms and conditions of transfer of BTPS to NTPC.

And whereas NTPC has agreed to acquire the Badarpur Thermal Power Station from the Government of India vide letter No. 01/NBD/BTPS/027-601 dated 24th May, 2006.

NOW IN EXERCISE OF ITS POWERS UNDER ARTICLE 73 READ WITH ARTICLE 298 OF THE CONSTITUTION OF INDIA AND AS AGREED WITH NTPC, THE GOVERNMENT OF INDIA HEREBY ORDERS AS UNDER:

1. The Badarpur Thermal Power Station, comprising of assets (other than land which shall be given on lease as mentioned in clause-2 herein) interest in assets and including but not limited to building, plant, machinery, tools and equipment, furnitures and fittings, installation and other facilities forming part of the generating station or associated with or related to the generation station in its entirety shall stand transferred to and vest in NTPC effective 1st June 2006 subject to the terms and conditions contained in this Order. The assets relating to generating activity of BTPS to be transferred shall include power systems, plant, machinery, building, offices including office equipments & computers, stores, furnitures, fixtures, vehicles, residential quarters, hospitals including hospital equipments, schools, guest houses and amenities and installations pertaining and attached thereto and other movable and immovable assets, investments, corporeal and incorporeal, tangible and intangible assets, benefits, licences, consents, authorities, registrations and powers of every kind, nature and description whatsoever, privileges, liberties, easements, advantages, benefits and approvals, contracts, deeds, schemes, bonds, agreements and other instruments and interest of whatever nature. Notwithstanding the above the assets shall not however include current assets, debtors, investments, loan & advances of Badarpur Thermal Power Station in excess of those identified as per the audited segregated Balance Sheet pertaining to power business as on 31-05-2006 to be transferred to NTPC.

2. The title to the land of Badarpur Thermal Power Station comprising of 517.08 hectares forming part of the generating station and facilities shall continue to vest in the Government of India and shall be on lease to NTPC for an initial period of 50 years at an annual lease rent equivalent to 10% of the book value of the land.

3. Government reserves the right to review the lease of land if the power generation activity is decided to be stopped or if the land is used or proposed to be used for activity other than for generation of power and other than those connected or incidental to power generation.

4. All assets as described herein above excluding the land which shall be on lease, shall vest in NTPC Limited for consideration to be determined by the Government of India as per the audited accounts of the Badarpur Thermal Power Station as on 31st May, 2006. The said consideration shall be communicated by the Government of India to the NTPC by an Order to be issued for the said purpose.

5. Except for the identified current liabilities and provisions related to day to day generation activity of BTPS including all employee and working capital related liabilities and provisions in the audited segregated Balance Sheet, pertaining to power business as on 31-05-2006 to be transferred to NTPC, the Badarpur Thermal Power Station shall stand transferred and vest in NTPC as on 1st June 2006 without any liability of the station which relate to the period before 01-06-2006. All other liabilities of any nature whatsoever shall be to the account of the Government of India absolutely.

6. The electricity generated from the generating capacity of Badarpur Thermal Power Station existing as on date shall be supplied by NTPC to the National Capital Territory of Delhi w.e.f. 01-06-2006 in terms of the agreement and arrangement for sale of electricity as applicable to the Govt. of India up to 31-05-2006 till it is decided otherwise by the Government of India.

7. Effective 1st June, 2006, NTPC shall undertake all activities at the Badarpur Thermal Power Station to the account of NTPC and not on behalf of the Government of India.

8. The consideration for the transfer of BTPS to NTPC shall be paid by NTPC to the Government of India within 100 days of communication of the transfer value which will be arrived at on the basis of audited accounts as on 31st May, 2006 by the Government of India.

MRUTUNJAY SAHOO, Jt. Secy. & Financial Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.